न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

अपील सं0 07/2022 रसद

प्रकाश योगी उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत चूडियावास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

..अपीलांट

बनाम

जिला रसद अधिकारी दौसा जिला दौसा

..रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी दौसा दिनांक 15.9.2016 बाबत निरस्ती प्राधिकार अपीलांट मुकदमा संख्या 359/2016

उपस्थित–1. श्री रामखिलाडी योगी, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः 22.06.2022

अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 15.9.2016 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा से मूल अभिलेख मंगवाया गया।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट ने उचित मूल्य सामग्री के वितरण हेतु प्राधिकार पत्र ले रखा है।रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को ग्राम पंचायत चूडियावास के उचित मूल्य सामग्री वितरण हेतु एफ0पी0एस0 डीलर नियुक्त कर रखा है। उक्त प्राधिकार पत्र के तहत अपीलांट नियमानुसार अपने वितरण क्षेत्र में रेस्पोडेन्ट द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशन सामग्री का वितरण करता आ रहा है। प्रवर्तन निरीक्षक नांगल राजावतान द्वारा अपीलांट की उचित मूल्य दुकान की दिनांक 9.6.2016 को जांच की जाकर जांच रिपोर्ट दिनांक 14.6.2016 को रसद कार्यालय में पेश की गई। प्रवर्तन निरीक्षक नांगल राजावतान की रिपोर्ट के आधार पर डीलर को दिनांक 14.6.2016 को ही अग्रिम आदेशों तक निलंबित कर दिया गया। अपीलांट को जांच रिपोर्ट में दर्ज आरोपो के आधार पर नोटिस जारी किया गया जिसका अपीलांट के द्वारा विस्तार से जवाब पेश कर दिया गया तथा अपीलांट का वितरण संबंधी रिकार्ड एफ0आई0आर0 के दौरान पुलिस थाना नांगल राजावतान में जब्त होने के कारण निरीक्षण के दौरान प्रवर्तन निरीक्षक को उपलब्ध नहीं करवा सका। तत्पश्चात राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के ... व जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,5,10,11 व 18 का उल्लंघन मानते हुए आवश्यक वस्तु ... विनियम 1995 के तहत अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र की जमाशुदा प्रतिभूति राशि जब्त ... करते हुए जारी प्राधिकार पत्र निरस्त फरमा दिया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक से रिपोर्ट तलब किये बिना ... बिना कोई मौका रिपोर्ट व साक्ष्य के बिना अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। साथ ही रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने आदेश में अपीलांट द्वारा जांच हेतु 3 माह के वितरण रजिस्टर वास्ते जांच प्रस्तुत नहीं करना मानते हुए राशन सामग्री उठाव/वितरण का कार्य संपादित नहीं किया जाना बताकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलांट का वितरण संबंधी रिकार्ड पुलिस थाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.23 16:52:51 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ... 2 पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नांगल राजावतान मे जब्त होने के कारण वितरण संबंधी रिकार्ड जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवा सका। किन्तु उपभोक्ताओं को राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक से किसी भी प्रकार के स्टॉक व वितरण रजिस्टर की जांच नहीं करवाई गई है व मनमाने तरीके से अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलांट को 48 क्विं.गेहूँ का आवंटन माह मई 2016 के पेटे प्राप्त हुआ था जिसका वितरण करने के बाद अपीलांट के पास स्टॉक में 6.47क्विं0 गेहूँ मौके पर उपलब्ध था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर केवल स्टॉक रजिस्टर का ही अवलोकन किया गया है। अपीलांट के पास जो गेहूँ का स्टॉक उपलब्ध था, उसका मौके पर जांच अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया, किन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा इन तथ्यों पर गौर नहीं कर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। दिनांक 15.9.2016 को प्राधिकार पत्र निरस्त करने के बाद अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया ना ही पत्रावली पर कोई नोटिस दिया जाना दर्शा रखा है। ऐसी सूरत में जिला रसद अधिकारी का आदेश निरस्तनीय है। अतः जिला रसद अधिकारी दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.9.2016 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे तथा अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल होने तक अपीलांट को हुई आर्थिक क्षति बाबत 2000/-रू0 प्रतिदिन की दर से हर्जाना राशि दिलवाई जावे जो कि जिला रसद अधिकारी दौसा के वेतन पेंशन आदि में से काटकर दिलवाई जावे।

विभागीय पैरोकार सरकार की दलील है कि दिनांक 9.6.2016 को ग्राम अभयपुरा ग्राम पंचायत चूडियावास में श्री रामनिवास योगी की परचून की दुकान मे अवैध रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली राशन सामग्री के रखे जाने की शिकायत पर जिला रसद अधिकारी दौसा के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय व नांगल राजावतान द्वारा दिनांक 10.6.2016 को उचित मूल्य दुकान की जांच की गई, जिसमें पाई गई अनियमितताएं निम्न है

1. जांच के दौरान श्री रामनिवास योगी अनुपस्थित मिले। दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो मोबाइल बंद पाया गया। डीलर के उपस्थित नहीं होने से ग्रामवासियों के समक्ष दुकान को मौके पर ही सीज की गई।
2. मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि दिनांक 8.6.2016 को रात्रि लगभग 11.00 बजे उचित मूल्य दुकानदार श्री प्रकाश योगी व उसके साथी राशन की दुकान से गेहूँ के कटटे उठाकर रामनिवास योगी की परचून की दुकान में रख रहे थे, जो उनको देखकर भाग गये।
3. मौके पर डीलर श्री प्रकाश योगी मिला जिसने रामनिवास योगी को रिश्ते में अपना चाचा बताया तथा स्वयं की दुकान का निरीक्षण करवाया, जिसमें 5.39क्विं0 गेहूँ कम पाया गया तथा तथा गत 3 माह के वितरण रजिस्टर जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। उसके द्वारा प्रस्तुत गेहूँ स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 12.5.2016 को 6.47 क्विं.गेहूँ स्टॉक में था जिसे अगले माह के प्रारंभिक स्टॉक में शामिल नहीं कर 6.47क्विं0 गेहूँ का दुरूपयोग किया गया। साथ ही दिनांक 18.5.2016 को प्राप्त 54.89 क्विं0 गेहूँ का वितरण नहीं किया गया।
4. दिनांक 10.6.2016 को जिला रसद अधिकारी दौसा के निर्देशानुसार श्री रामनिवास योगी द्वारा अपीन परचून की दुकान की सील खुलवाने हेतु उपस्थित होने के कारण प्रवर्तन स्टाफ के साथ मौके पर पहुँच कर दिनांक 9.6.2016 को लगाई गई सील यथास्थिति पाई गई। किन्तु ग्रामवासियों ने बताया कि श्री रामनिवास योगी, डीलर व अन्य लोगों द्वारा दुकान के पीछे स्थित पाटोल की ओर से रामनिवास योगी की दुकान में प्रवेश कर पी0डी0एस0 के पाये गये गेहूँ, केरोसीन व चीनी को खुर्द बुर्द करने का प्रयास किया गया, किन्तु हमे देखकर भाग गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.23 10:52:51 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ... 3 पर

5. श्री रामनिवास योगी द्वारा स्वयं की चाबी की मदद से दुकान के ताले खोले गये। दुकान के निरीक्षण के दौरान गेहूँ, नीला केरोसीन व चीनी पाई गई। गेहूँ के कटटों पर भारतीय खाद्य निगम वर्ष 2014–15 की सील लगी हुई थी तथा नीले धागे से मशीन से सिले हुए 08 जूट के कटटे एवं हाथ से सिले हुए 09 जूट के कटटे कुल 17 कटटे प्राप्त हुए। इसी प्रकार केरोसीन 11 लोहे के पीपों में कुल 150 लीटर नीला केरोसीन प्राप्त हुआ। चीनी के 9 कटटे मशीन से सिले हुए एवं 11 कटटे खुले मिले। चीनी के मशीन से सिले हुए कटटों पर **Government of Rajasthan (Subsidized sugar for PDS in Rajasthan)** लिखा हुआ पाया गया। उक्त गेहूँ , केरोसीन व चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित दर व मात्रा में उपभाक्ताओं को राशन कार्ड के माध्यम से वितरित किया जाता है।
6. श्री रामनिवास योगी ग्राम पंचायत चूडियावास के उचित मूल्य दुकानदार श्री प्रकाश योगी का चाचा है तथा दोनों की दुकान पास में स्थित है। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि उचित मूल्य दुकानदार श्री प्रकाश योगी द्वारा राशन सामग्री की कालाबाजारी हेतु श्री रामनिवास योगी की परचुन की दुकान मे रखी जाती हो तथा इस कार्य में रामनिवास द्वारा सहयोग किया जाता हो। इस बात की पुष्टि उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा की गई। मौके पर श्री प्रकाश योगी की उचित मूल्य दुकान पर 11.86 क्विं0 गेहूँ कम पाया गया, जबकि श्री रामनिवास योगी की परचून की दुकान पर 8.50 क्विं0 गेहूँ पाया गया। स्पष्टतः प्रकाश योगी डीलर द्वारा कालाबाजारी की नीयत से रामनिवास की परचून की दुकान पर राशन सामग्री रखी गई थी।
7. श्री रामनिवास योगी ने अपने बयान में बताया कि श्री प्रकाश योगी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा ही राशन के गेहूँ, चीनी व केरोसीन बेचने हेतु मेरी दुकान में रखे हैं। इस प्रकार श्री प्रकाश योगी डीलर व रामनिवास योगी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाली राशन सामग्री को कालाबाजारी की नीयत से अधिकृत स्थान से अन्यत्र स्थान पर भंडारित किया जाना प्रमाणित होता है।

इस प्रकार श्री प्रकाश योगी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खंड 20 व प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,5,10,11 व 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। साथ ही श्री रामनिवास योगी दुकानदार द्वारा कालाबाजारी करने में सहयोग किया गया है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलांट व विभागीय पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 9.6.2016 को ग्राम अभयपुरा तहसील नांगल राजावतान में रामनिवास योगी की परचून की दुकान में अवैध रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली राशन सामग्री रखे जाने की सूचना पर जिला रसद अधिकारी दौसा के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय व नांगल राजावतान मौके पर पहुँचे। मौके पर डी[illegible] सीज किया गया तथा दिनांक 10.6.2016 को जांच दल के साथ जांच की गई [illegible] जांच वहाँ उपस्थित लोगों के बयान लिये गये जिन्होंने बताया कि दिनांक 8.6.2016 को [illegible] 11 बजे डीलर प्रकाश योगी व उसके साथी राशन की दुकान से [illegible] योगी की परचून की दुकान में रख रहे थे। मौके पर डीलर प्रक[illegible] लिये गये जिसे रामनिवास योगी को रिश्ते में अपना चाचा बताया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.23 10:52:51 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ... 4 पर

गई। दौराने जांच वहॉ उपस्थित लोगों के बयान लिये गये जिन्होंने बताया कि दिनांक 8.6.2016 को रात्रि लगभग 11 बजे डीलर प्रकाश योगी व उसके साथी राशन की दुकान से गेहूँ के कटटे उठाकर रामनिवास योगी की परचून की दुकान में रख रहे थे। मौके पर डीलर प्रकाश योगी के भी बयान लिये गये जिसे रामनिवास योगी को रिश्ते में अपना चाचा बताया। इस संबंध में रामनिवास योगी के भी बयान लिये गये। रामनिवास योगी ने भी अपने बयानों में डीलर प्रकाश योगी को अपना भतीजा बताया है तथा राशन के गेहूँ, चीनी व केरोसीन उसकी परचून की दुकान में बेचने के लिए रखना बताया है तथा यह भी बताया है कि यह कार्य पहली बार किया है। ऐसी स्थिति में ग्रामवासियों द्वारा की गई शिकायत में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्वयं डीलर के चाचा ने अपनी परचून की दुकान में डीलर द्वारा सामान बेचने के लिए रखवाया जाना बताया है, जिसमे कोई संदेह नहीं किया किया जा सकता है। ग्रामवासियों के कथनानुसार डीलर द्वारा अपने चाचा की दुकान के पीछे स्थित पाटोर की पटिटयों को हटाकर परचुन की दुकान के अंदर प्रवेश कर पी0डी0एस0 के पाये गये गहूँ, केरोसीन व चीनी को खुर्द बुर्द किये जाने का प्रयास किया गया किन्तु उन्हे देखकर भाग जाना बताया गया। डीलर का इस प्रकार का कृत्य किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। वहॉ मिले चीनी के मशीन से सिले कटटों पर **Government of Rajasthan(Subsidized sugar for PDS in Rajasthan)** लिखा हुआ पाया गया। उक्त गेहूँ, चीनी व केरोसीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित दर व मात्रा में उपभेक्ताओं को राशनकार्डों के माध्यम से किया जाता है। श्री रामनिवास योगी ग्राम पंचायत चूडियावास के डीलर श्री प्रकाश योगी का चाचा है तथा दोनों की दुकाने भी पास–पास में स्थित है। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कि प्रकाश योगी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राशन सामग्री की कालाबाजारी हेतु श्री रामनिवास योगी की परचून की दुकान में रखी जाती हो तथा इस कार्य में श्री रामनिवास योगी द्वारा सहयोग किया जाता हो। इस बात की पुष्टि उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा भी गई है। मौके पर प्रकाश योगी डीलर की दुकान पर 11.86क्विं0 गेहूँ कम पाया गया जबकि रामपिनवास योगी की परचून की दुकान पर 8.50क्विं0 गेहूँ पाया गया। जो स्पष्टतः प्रकाश योगी डीलर द्वारा कालाबाजारी की नीयत से ही रामनविास योगी की दुकान पर राशन सामग्री रखी गई थी। पत्रावली में फर्द मौका, फर्द सुपुदर्गी, फद अभिग्रहण इत्यादि संलग्न है। सारी कार्यवाही जांच से स्पष्ट है जिसमें डीलर कर बदयान्ती स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अपीलांट श्री प्रकाश योगी, उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपरोक्त वर्णित अनियमितताएं कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 व राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 व इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया है। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हस्ताक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.9.2016 यथावत रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.23 10:52:51 IST
Reason: SelfAttested

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 22 जून 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा